पीठासीन अधिकारी : – मुकेश कुमार चौधरी (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या : – 148 / 2015

उनवान

रतन बनाम सोहन वगै0

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, राज0 काश्त0 अधि0 1955

–: आदेश :–

दिनांक :– 18.9.18

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश का निवेदन किया कि ग्राम रघुनाथपुरा प0म0 केरियाखुर्द के खाता संख्या 12 / 54 किता 9 रकबा 1.58, 98 / 115 किता 2 रकबा 2.19, 97 / 114 किता 2 रकबा 0.06 की आराजी वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की है। उक्त आराजी का बंटवारा नही हुआ है एवं शामिल में फसल काश्त करना संभव नही है। अतः वादी व प्रतिवादीगण को हिस्सेनुसार खातेदार घोषित किया जावे व विधिवत विभाजन किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 9 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। न्याय आपके द्वार अभियान 2016 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की सहमती के आधार पर प्रकरण में निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी कर समस्त सहखतेदारो के मध्य विधिवत विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्णय किया गया।

प्रकरण में पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि वंर्किग जमाबंदी के खाता संख्या 10 में विरासत का नामान्तकरण खोलते समय सम्पूर्ण वारिसों के नाम नामान्तकरण नही आया है। अधिवक्ता वादी ने अवगत कराया कि पूर्व में मात्र विभजन के आधार पर निर्णय पारित किया गया था जबकि वादी ने उक्त वाद में खातेदारी उद्घोषणा भी चाही थी। वादी अधिवक्ता ने प्रकरण में साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया। व पूर्व राजस्व अभिलेख अनुसार खातेदार उद्घोषणा चाही।

बहस सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि आराजी मुतनाजा वंर्किग जमाबंदी में वादी के पिता के नाम खातेदारी में थी किन्तु हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी समस्त विधिक वारिसान के नाम दर्ज नही की गयी। अतः वादग्रस्त सम्पदा समस्त विधिक वारिसान के नाम दर्ज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में यह अंकित नही है कि आराजी मुतनाजा पूर्व में उसके पिता की खातेदारी में थी व हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी त्रुटिपूर्ण रूप से इन्द्राज कर दी गयी। ना ही वादी ने अपने वाद में इन्द्राज दुरूस्ती का अनुतोष चाहा है। वाद पत्र में वादी ने मात्र विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष बाबत निवेदन किया है। जबकि वादी को अपने वाद में समस्त तथ्य स्पष्ट अंकित करने थे। वादी द्वारा जो राजस्व अभिलेख पेश किया है उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर 285, 287, 270 / 446 व 270 / 447 ही वंर्किग जमाबंदी में वादी के पिता के नाम खातेदारी थी। शेष खसरा नम्बर की वंर्किग जमाबंदी व मिलान क्षेत्रफल वादी ने पेश नही किये है। वंर्किग खाता संख्या 77 किता 4 रकबा 16–3–0 की आराजी सोहन व रतन पि0 गणेश को आवंटित हुयी थी। जिस पर अन्य व्यक्तियो को खातेदारी नही दी जा सकती है। वादी ने प्रस्तुत शजरे व वाद पत्र में अपनी बहिन रतनी को मृत बताया है किन्तु उसके वारिसन की स्थिति स्पष्ट नही की है। ना ही प्रकरण में उन्हे पक्षकार मूर्तिब किया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रकरण में समस्त हितबद्व व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है।

उक्तानुसार स्पष्ट है कि वाद पत्र में वादी ने अपने कथन व वाछिंत अनुतोष स्पष्ट रूप से अंकित नही किये है। साथ ही आराजी मुतनाजा का समस्त साबिक राजस्व अभिलेख भी पेश नही किया है एवं समस्त हितबद्व खातेदारों को पक्षकार नही बनाया है। जिस कारण वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है।

अतः प्रकरण का निस्तारण इस आशय से किया जाता है कि कि वादी समस्त हितबद्व व्यक्तियो को पक्षकार बनाते हुये, समस्त राजस्व अभिलेख पेश कर स्पष्ट तथ्य अंकित करते हुये नवीन वाद पेश करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद